



2026:AHC:27877

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - बी सं. - 530 सन् 2026

राम चंदर दुबे
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

माननीय राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: शशि कांत मिश्रा
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 54

माननीय चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शशिकांत मिश्रा और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल को सुना।

2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान याचिका दायर की गई है:-

"i. माननीय राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रतिवादी संख्या 1 को लंबित मामले/पुनरीक्षण संख्या 1 को **REV/1477/2024** (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या **R20241667001477**), (भोला नाथ तिवारी बनाम राम चंदर दुबे और अन्य) उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के तहत जो उनके समक्ष शीघ्रता से लंबित है, अधिमानतः जैसा कि यह माननीय न्यायालय ठीक और उचित समझे, पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करे।

ii. कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मामले की परिस्थितियों में ठीक और उचित समझे।

iii. याचिकाकर्ता को रिट याचिका की लागत प्रदान करें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से दायर पुनरीक्षण 09.05.2024 से प्रतिवादी संख्या 1-राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त संशोधन में विपक्षी है। उन्होंने लंबित कार्यवाही का ऑर्डर शीट रखा ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामला तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का अंततः निस्तारण किया जाता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1-राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ को पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त संशोधन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

फरवरी 9, 2026

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"